



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 2

PART I—Section 2

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 22]

नई दिल्ली, शुक्रवार, नवम्बर 2, 2018/कार्तिक 11, 1940

No. 22]

NEW DELHI, FRIDAY, NOVEMBER 2, 2018/KARTIKA 11, 1940

विधि और न्याय मंत्रालय

(विधि कार्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 2 नवम्बर, 2018

सं. ए-12023(1)/15/2016-प्रशा.-III(वि.का.).—केंद्रीय सरकार, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 252 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, न्यायमूर्ति श्री प्रदीपकुमार प्रेमशंकर भट्ट, पूर्व न्यायाधीश, गुजरात उच्च न्यायालय, को दिनांक 24 अक्तूबर, 2018 के पूर्वानुमति से, 65 वर्ष की आयु होने तक, अर्थात् दिनांक 5 सितंबर, 2021 तक या अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, आयकर अपीलीय अधिकरण के अध्यक्ष के पद पर नियुक्त करती है।

डा० राजीव मणि, संयुक्त सचिव एवं विधि सलाहकार